In the Court of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Sessions Judge, Manjhaul (Begusarai)

S.T. No. 48A/2001

Reg. No. 2148/2001

Arising out of Cheriyabariyarpur P.S Case No- 33/1999

राज्य

बनाम्

भाग्य नारायण यादव

<u>आदेश</u>

24.04.2026 एक मात्र अभियुक्त भाग्य नारायण यादव आज भी अनुपस्थित हैं। अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि अभियुक्त काफी समय से अनुपस्थित चल रहें थे जिसके कारण उनका बंधपत्र दिनांक 20.03.2024 को खंडित किया गया तथा दिनांक 06.04.2024 को इनके विरूद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 17.03.2025 को 84 दं0प्र0सं0 का प्रोसेस निर्गत किया गया। दिनांक 03.07.2025 को 85 दं0प्र0सं0 का प्रोसेस निर्गत किया गया। किन्तु आज तक संबंधित थाना से अभियुक्त को गिरफतार कर न तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही अभियुक्त स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। दिनांक 13.11.2025 को अभियुक्त भाग्य नारायण यादव का वाद पृथक किया गया। दिनांक 10.04.2026 को अभियोजन को निर्देश दिया गया कि धारा 335 BNSS के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करें, परन्तु आज तक अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अभियोजन को काफी मौका दिया गया। ऐसा प्रतीत होता हैं कि अभियुक्त को निकट भविष्य में उपस्थित होने का कोई संभावना नहीं हैं। अतः अभियुक्त भाग्य नारायण यादव को **फरार** घोषित किया जाता हैं कार्यालय स्थायी अधिपत्र निर्गत करें एवं नियमानुसार अभिलेख, अभिलेखागार में जमा करें।

S/d–

(संजय कुमार सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश, मंझौल